

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफोन :- 0141-2222403 ई-मेल - dibrajasthan@gmail.com वेब साइट - www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक - एफ 55()Engg./CE/DLB/17/ 18308 - 499 दिनांक :- 27/10/2017

आयुक्त, नगर निगम समस्त
आयुक्त, नगर परिषद समस्त
अधिसाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय:- राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु शौचालयों के निर्माण ARC पर करवाये जाकर भुगतान समय पर करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत नगर निकायों द्वारा फर्म से अनुबन्ध कर कार्यदेश के अनुसार शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। फर्म द्वारा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि निकायों द्वारा फर्म को भुगतान नहीं किया जा रहा है। फर्म द्वारा लगभग 5.35 करोड़ के कार्य कर दिये हैं।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप नगर निकायों को प्रत्येक माह के किये गये कार्य का मासिक बिल का भुगतान फर्म को किया जाना है। भुगतान समय पर नहीं होने से शौचालयों के निर्माण की गति पर वितरित प्रभाव पड़ेगा।

अतः नगर निकायों को निर्देशित किया जाता है, कि आवश्यक शौचालयों का निर्माण कर फर्म को नियमानुसार तय समय सीमा से भुगतान कर निकायों को दिसम्बर 2017 से पूर्व खुले में शौच से मुक्त घोषित करवावे। स्वच्छ भारत मिशन में उपलब्ध राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 27/10/2017

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/ 16/ 18500 - 545
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
3. जिला कलेक्टर समस्त।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) समस्त।
5. प्रोग्रामर निदेशालय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता